

५८३

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी० संख्या :—०४/यो०बजट—१६/२०१६

०५/स्ट०

व०प०, राँची, दिनांक :— २९.०५.२०१६

प्रेषक,

ए० के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ल० एवं ह०),
पो०— डोरण्डा।
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :— वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सीमा का सुदृढीकरण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत 49751 पक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण एवं डी०जी०पी०एस० द्वारा वन सीमा का सर्व हेतु कुल रु० 2099.991 लाख (बीस करोड़ निनान्वे लाख निनान्वे हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :— योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक—११३ दिनांक—२७.०२.२०१७

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत “वन सीमा का सुदृढीकरण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत कुल—२१००.००० लाख (इक्कीस करोड़) रुपये मात्र की राशि का उपबंध संसूचित है।

“वन सीमा सुदृढीकरण” योजना का मुख्य उद्देश्य— राज्य के कुल क्षेत्रफल ७९७१४ वर्ग कि०मी० में से २३६०५ वर्ग कि०मी० अर्थात् २९.६१ प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। राज्य में बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप वनों पर मानविक दबाव बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग ही समय की माँग है। अतः प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए वन अभिलेखों एवं वन सीमाओं का डिजिटाईजेशन (Digitization), जियोरिफरेंसिंग (Geo-referencing) करना अति आवश्यक है।

2. राज्य में लगभग 12 लाख से अधिक वन सीमा स्तम्भ पूर्व से चिह्नित है। इस योजना के अंतर्गत नये पक्के बाउण्डी पीलरों का निर्माण किया जाना है तथा वन सीमा स्तम्भों के निर्माण से पूर्व वन विभाग द्वारा समेकित रूप से नक्शे, सर्व ऑफ इंडिया के टोपोशीट तथा आधुनिक तकनीकी GPS (Global Positioning System)/ DGPS (Differential Global Positioning System) की सहायता से वन सीमा का सर्व किया जायेगा। अभिलेखों का इस प्रकार से डिजिटाईजेशन करने से वन प्रशासन के कार्य सुदृढ़ होंगे तथा शोध आदि कार्य लाभप्रद होंगा।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास ने प्रतिवेदित किया है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा दिनांक—०१ जुलाई, 2016 को अधिसूचित कार्य दर के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में ३६१८ प्रति पक्का सीमा स्तम्भ निर्माण के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन अनुलग्नक—३ पर द्रष्टव्य है।

२८०५

4. वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली 'वन सीमा का सुदृढ़ीकरण' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत 49751 पक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण एवं डी0जी0पी0एस0 द्वारा वन सीमा का सर्वे हेतु कुल रु0 2099.991 लाख (बीस करोड़ निनान्वे लाख निनान्वे हजार एक सौ रुपये) मात्र प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	सर्वेक्षण	कुल
1	49751 पक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण	1799.991	719.996	1079.995	-	1799.991
2	डी0जी0पी0एस0 सर्वे (सीमा स्तम्भ का अक्षांश एवं देशांतर का रीडिंग लेना तथा जियोरेफरेन्स का मैप तैयार करना)।	300.00	-	-	300.00	300.00
	योग :-	2099.991	719.996	1079.995	300.00	2099.991

उक्त योजना के अंतर्गत प्रमंडलवार पक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 एवं डी0जी0पी0एस0 सर्वे (सीमा स्तम्भ का अक्षांश एवं देशांतर का रीडिंग लेना तथा जियोरेफरेन्स का मैप तैयार करना) करने का स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

5. स्वीकृत राशि बजट उपबंध के अंतर्गत है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष- 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01-वानिकी लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 48-वन सीमा का सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. इस योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजटीय उपबंध एवं स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
1	मजदूरी	19S240601796480103	720.000	719.996
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796480323	1080.000	1079.995
3	सर्वेक्षण	19S240601796480382	300.000	300.000
कुल			2100.00	2099.991

7. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट-1 के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी।

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉडी की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

13. योजना का सूत्रण स्थल विशेष प्राक्कलन तथा तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप ही राशि की गणना कर योजना का सूत्रण किया गया है।

नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अंगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

19. इस योजनानांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनानांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

15/1
28.04.2015

विश्वासभाजन,

22/1
(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

झापांक :—04 / यो0बजट-16 / 2016 ०५। व०४०, राँची, दिनांक :— २३. ०५. २०१६


प्रतिलिपि— राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं दिभागीय बजट शाखा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ए0के0 रस्तागी)

सरकार के विशेष सचिव।

झापांक :—04 / यो0बजट-16 / 2016 ०५। व०४०, राँची, दिनांक :— २३. ०५. २०१६

प्रतिलिपि— सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त / कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ए0के0 रस्तागी)

सरकार के विशेष सचिव।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली 'वन सीमा का सुदृढ़ीकरण' योजना
(जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत प्रमण्डलवार यक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण का स्वीकृत
भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (सीमा स्तम्भ की सं०)	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iv	v	vi	vii	viii
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताडा वन प्रमण्डल	2000	72.360	28.944	43.416	72.360
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल	4000	144.720	57.888	86.832	144.720
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल	6000	217.080	86.832	130.248	217.080
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
योग :-		15000	542.700	217.080	325.620	542.700
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
योग :-		3000	108.540	43.416	65.124	108.540
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल	2500	90.450	36.180	54.270	90.450
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल	2500	90.450	36.180	54.270	90.450
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रौची वन प्रमण्डल	3251	117.621	47.048	70.573	117.621
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल	1850	66.933	26.773	40.160	66.933
योग :-		13101	473.994	189.598	284.397	473.994
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल	6000	217.080	86.832	130.248	217.080
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल	3000	108.540	43.416	65.124	108.540
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल	2000	72.360	28.944	43.416	72.360
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल	1000	36.180	14.472	21.708	36.180
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल	200	7.236	2.894	4.342	7.236
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	1000	36.180	14.472	21.708	36.180
योग :-		13200	477.576	191.030	286.546	477.576
1	उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर	1250	45.225	18.090	27.135	45.225
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू	1500	54.270	21.708	32.562	54.270
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया, पलामू	1700	61.506	24.602	36.904	61.506
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, रौची	1000	36.180	14.472	21.708	36.180
योग :-		5450	197.181	78.872	118.309	197.181
सकल योग :-		49751	1799.991	719.996	1079.995	1799.991

०५/११
५.२५.५४.०५/५

२३/५
(४० क्र० रस्तोगी)
विशेष सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सीमा का सुदृढीकरण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत प्रमंडलवार वन भूमि सीमा का डी0जी0पी0एस0 सर्वे (सीमा स्तम्भ का अक्षांश एवं देशांतर का रीडिंग लेना तथा जियोरिफेरन्स मैप तैयार करना) करने का स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	सर्वेक्षण	कुल
i	ii	vii	viii
1	वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूंटी वन प्रमंडल	20.000	20.000
2	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमंडल	22.500	22.500
3	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल	22.500	22.500
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमंडल	30.000	30.000
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल	30.000	30.000
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल	25.000	25.000
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमंडल	20.000	20.000
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पोडाहाट वन प्रमंडल	20.000	20.000
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल	30.000	30.000
10	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल	30.000	30.000
11	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, पलामू	20.000	20.000
12	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू	20.000	20.000
13	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची	10.000	10.000
योग :-		300.000	300.000

५/५
२५.७.२०१८

२२/५
(५० के० रस्तोंगी)
विशेष सचिव